

33/H.P/2014/A/R/0  
S. K. 14  
(2.30 P.M.)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)  
(प्र० 2 क)  
(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन—पत्र

लोकसभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दे  
भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोकसभा के निर्वाचन के लिए

निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ

अभ्यर्थी का नाम

उसका डाक पता

नाम

नामावली के भाग सं०

प्रविष्ट है।

मेरा नाम

की निर्वाचक नामावली के भाग सं०

तारीख

पिता/माता/पति का नाम

संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में

संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र) की निर्वाचक  
में क्रमसं०

उसका

पर

में क्रम सं०

है जो

विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र)

संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र (में समाविष्ट,

पर प्रविष्ट है।

(प्रथापक के हस्ताक्षर )

भाग 2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 12. पुणीया संसदीय निर्वाचन—क्षेत्र से निम्नलिखित  
को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम कुंञ बिहारी पालवान

पिता/माता/पति का नाम प्रियालाल पालवान

उसका डाक पता शाम-चन्दूजी-पी०-चन्दूजी, छाना-छम्पाझा,  
जिला-पुणीया (बिहार)

उसका नाम 12. पुणिया

निर्वाचक नामावली के भाग 67

संख्याक 1146

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र \*(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की

में क्रम संख्याक पर प्रविष्ट है।

हम धोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्याक

क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्याक	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	61, घमधाड़ा	71	394	बांकर मड्हो २१	Attached Signature of 61/4/14	
2.	61, घमधाड़ा	67	1034	उपेंद्र पासवान	Attached Signature of 61/4/14	
3.	61, घमधाड़ा	67	1066	धोटिलाल पासवान	Attached Signature of 61/4/14	
4.	61, घमधाड़ा	64	1003	आगरका पासवान	Attached Signature of 61/4/14	
5.	61, घमधाड़ा	67	493	मुन्ता कुल पासवान	Attached Signature of 61/4/14	
6.	61, घमधाड़ा	71	412	जीपाल मड्हो	Attached Signature of 61/4/14	
7.	61, घमधाड़ा	70	1169	कुन्दन कुल जापसवान	Attached Signature of 61/4/14	
8.	61, घमधाड़ा	67	1282	सात्य निल पासवान	Attached Signature of 61/4/14	
9.	61, घमधाड़ा	67	1272	परिनंद पासवान	Attached Signature of 61/4/14	
10.	61, घमधाड़ा	67	1277	आगरका पासवान	Attached Signature of 61/4/14	

रूपया ध्यान दे :— प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

अधिसूचना सं0 का0 आ0 558(अ), तारीख 9 अगस्त, 1996 द्वारा प्ररूप 2क से 2ग के स्थान पर प्रतिस्थापित।

### भाग 3

मैं भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं और धोषणा करता हूं कि—

(क) मैंने

[(ख)(i) या (ख)(ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में

१०

दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राय में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

या

(ख)(ii) मुझे इस निर्वाचन में

५

दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं (जो लागू न हो उसे काट दें)

और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान कम में (i) गुडबाटा (ii) फूलगोली

(iii) बूढ़ा कुकर हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/मुमा/पति का नाम ऊपर टिंडी (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोकसभा का स्थान भरने के लिए अहिंत हूं और निरहिंत भी नहीं हूं।

\*मैं यह भी धोषणा करता हूं कि मैं\*\* जाति /जनजाति का सदस्य हूं जो टिंडी राज्य के उस राज्य में के (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित\*\*\* जाति/जनजाति है।

मैं यह भी धोषणा करता हूं कि मुझे लोकसभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में\*\*\*\* नामनिर्देशन नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

अंग बिहारी पाठ्य ७१८

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

तारीख ०५.०४.२०१४

\*जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्मीप की दशा में  
मे समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र ' शब्द काट दीजिए।

\*\*यदि लागू न हो तो इसे पैरा को काट दीजिए।

\*\*\*यदि न होने वाले शब्द काट दीजिए।

\*\*\*\*जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्मीप की दशा में  
लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें:- "मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश,  
1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनीतिक दल अभिप्रेत है।

### माग 3क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी उपराष्ठ (अपराधी) के लिए, या

हाँ/नहीं

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है, या

अधिसूचना सं0 का0 आ0 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित।

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराष्ठ (अपराधी) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के  
कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट

संख्यांक लालू नडी

(ii) पुलिस थाना

(थाने) लागू नडी

जिला (ज़िले)

राज्य

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था।

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/तारीखें

लागू नडी

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था।

लागू नडी

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने(जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें

लागू नडी

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)

लागू नडी

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के बिल्ड कोई अपील (अपील)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां

लागू नडी

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (को) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपील)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे

लागू नडी

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं

लागू नडी

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-

(क) निपटारे की तारीख(तारीखें)

लागू नडी

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति)

लागू नडी

स्थान: समाजशिक्षण एवं पुणियां

फ़ॉर्म नं. ५५७९१७

तारीख: ०५/०५/२०१५

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

#### भाग 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन—पत्र की कम से 30..... 33

यह नामनिर्देशन मुझे/ मेरे कार्यालय में 05.04.14 (तारीख) को 02 : 30 PM (बजे)\* अभ्यर्थी/ प्रस्थापक द्वारा परिदृश्य किया गया।

तारीख 05.04.14

*D. K. S. 5-4-14*  
सहायक निवाची पटाधिकारी  
रिटर्निंग आफिसर  
1. गृहेर्षि तंत्रक राजा निवाचन बोर्ड

#### भाग 5

नामनिर्देशन—पत्र को प्रतिगृहित या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन—पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ—

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

(छिद्रण)

\*लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए



"प्रत्येक 26"

नियम 4क टोक्सि

Ab2u22bdy



12. परिपाठ

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) **लौकर्णा** का नाम) के लिए  
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला ।

भाग-क

मैं कुम विश्वरी पासवान \*पत्र/पुस्तक/पत्री देवता राम पासवान  
आयु ५२ वर्ष, जो शाम-चंद्री-पौर्ण-चंद्री, धाना-  
धनपत्र, डिल्ला-पाणी पान (बिअर)

(डाक का पूरा पता लिखें) का / की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिहारा करता हूँ/कम्ती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/कम्ती हूँ-

(1) में **\*\*राजनीतिक दल का नाम**) हारा खड़ा  
किया गया अभ्यर्थी / \*\*एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

## प्रमधान, विअर

(निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग से

क्रमांक ११४६ पर प्रविष्ट है।  
अमृण लापक टेलीफोन नं. ९९५५४८००

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यारे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रसिद्धि


क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	BWEPPB160P ७१-८	७१-८	७१-८
2.	पति या पत्नी	७१-२	७१-८	७१-८
3.	आश्रित-१	७१-८	७१-८	७१-८
4.	आश्रित-२	७१-८	७१-८	७१-८
5.	आश्रित-३	७१-८	७१-८	७१-८

(5) मैं ऐसे किसी लघित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध संबंधित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किए गए हैं।

(क)	मामला / प्रथम सूचना - रिपोर्ट संख्या / संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण ब्यौरे	७१-८ तड़ी
	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त वर्णन जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	७१-८ तड़ी
	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	७१-८ तड़ी
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	७१-८ तड़ी
(इ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	७१-८ तड़ी
(च)	व्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं	७१-८ तड़ी



(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय हारा सज्जान लिया गया है पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सज्जान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने सज्जान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सज्जान लिया गया है	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ तहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:



(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्तिति	लागू नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ।

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	साथ में जाकरी	45,000/-	शु.य	शु.य	शु.य	शु.य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियंत्रित जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बंधते खाते भी हैं), वित्तीय संसाइटों, गैर विकासीय वित्तीय कंपनियों और संहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	33,910/- 117874759/- 13136emda Rs. 659/- 33,910/- 2006961352 13136emda Rs. 966/-	शु.य	शु.य	शु.य	शु.य
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शु.य	शु.य	शु.य	शु.य	शु.य

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के बीरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	१५.८	१५.८	१५.८	१५.४	१५.८
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अधिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	१५.८	१५.८	१५.८	१५.८	१५.८
(vi)	मोटरवान/बायुद्यान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	३१.८२ ८२११५८७७ १०१.२००८ ₹.३,२०,०००/-	३१.८	३१.८	३१.८	३१.८
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के बीरे)	१५.८	१५.८	१५.८	१५.८	१५.८
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावी/हित का मूल्य	१५.८	१५.८	१५.८	१५.८	१५.८
(ix)	समग्र कुल मूल्य	१५.८	१५.८	१५.८	१५.८	१५.८
आ.	स्थानकर्ता आस्तियों के बीरे	१५.८	१५.८	१५.८	१५.८	१५.८

संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण

**प्रृथमः** - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

संख्या	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i) कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याएँ	भौज कुन्डी धनुराही	भौज अकरी	भौज	भौज	भौज
क्षेत्र (एकड़ में कुल मांप) यदा पिरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	1= ९७ (५८)	1= ३१ (५८)	भौज	भौज	भौज
स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२१-०९	२१-०९	भौज	भौज	भौज
क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	२१-०९	२१-०९	भौज	भौज	भौज
विकास, सनियोग आदि के माध्यम से भूमि पर कोई	२१-०९	२१-०९	भौज	भौज	भौज

विनिधान		शुल्क	संपत्ति	क्रय	विवरण	
(ii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	८००,०००	५,००,०००	शुल्क	संपत्ति	८००,०००
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) वया विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
(iii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) निमित्त क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	८००,०००	५,००,०००	शुल्क	शुल्क	८००,०००
	वया विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	८००,०००
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	८००,०००
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	८००,०००
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	८००,०००
(iv)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	८००,०००	५,००,०००	८००,०००	५,००,०००	८००,०००
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) निमित्त क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	८००,०००
	वया विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	८००,०००
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शुल्क	शुल्क	शुल्क	शुल्क	८००,०००



	क्रय की दारीख	जागा नहीं	जागा है	मेंटरिंग	आवानहि	लागत
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	अस्ति	अस्ति	अस्ति	अस्ति	अस्ति
	विकास, सनिमार्ण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	अस्ति	अस्ति	अस्ति	अस्ति	अस्ति
(V)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य अत्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	अस्ति	अस्ति	अस्ति	अस्ति	अस्ति
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	5,00,000/-	4,00,000/-	अस्ति	अस्ति	अस्ति

(B) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के बौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पणि : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के व्यौरों का पृथक दिवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वय	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	४३,०००/-	५१-२५ शुत्र	५१-२५ शुत्र	५१-२५ शुत्र	५१-२५
	पर्वती वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों निकाय को ऋण या शोध्य	५१-२५	५१-२५	५१-२५	५१-२५	५१-२५
	उमा बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	५१-२५	५१-२५	५१-२५	५१-२५	५१-२५
	पर्वती आपूर्ति विभाग का कुल योग	४३,०००/-	५१-२५	५१-२५	५१-२५	५१-२५
	सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	५१-२५	५१-२५	५१-२५	५१-२५	५१-२५
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	५१-२५	५१-२५	५१-२५	५१-२५	५१-२५
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	५१-२५	५१-२५	५१-२५	५१-२५	५१-२५
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	५१-२५	५१-२५	५१-२५	५१-२५	५१-२५
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	५१-२५	५१-२५	५१-२५	५१-२५	५१-२५
	आय-कर शोध्य	५१-२५	५१-२५	५१-२५	५१-२५	५१-२५

	घनकर शोध्य	शान्ति	श्रींग	शृंग	शृंग	शृंग
	सेवाकर शोध्य	श्रींग	श्रींग	श्रींग	श्रींग	श्रींग
	नगरपालिका / संपति कर शोध्य	श्रींग	श्रींग	श्रींग	श्रींग	श्रींग
	विक्रयकर शोध्य	श्रींग	श्रींग	श्रींग	श्रींग	श्रींग
	कोई अन्य शोध्य	श्रींग	श्रींग	श्रींग	श्रींग	श्रींग
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	श्रींग	श्रींग	श्रींग	श्रींग	श्रींग
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्भुक्ति रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	श्रींग	श्रींग	श्रींग	श्रींग	श्रींग

(9) वृति या उपजीविका के ब्यौरे

(i) स्वयं

कृष्ण

(ii) स्वयं या पत्नी

द्वारा

(iii) अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

नाथ

(प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रलेप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्घारण

1	अन्यथी का नाम	श्री/स्त्री/कुमार बिजय अरो			
2	ठाक का पता	व्यापार नं. १००, व्यापार नं. ५३ लाला नं. ५३, पाटी, बिजय			
3	निवाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	१२, पुणीया, बिजय			
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अन्यथी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	कांगड़ा			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारबास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने सज्जान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिल)	४१२१			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारबास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमन्त्र 1951 की धारा ८ की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	४१२१ लाला			
7	Advocate -C.M. NOTER PUBLIC RELIEF COMMISSIONER N.D.C.	..... का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय	
	(क) अन्यथी (ख) पति या पत्नी (ग) आश्रित	BWEPP- 6160-P	लाला नाथी	लाला नाथी	
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (लापये में)	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
क	जंगन आस्तियां (कुल मूल्य)	3,66,625/-	श. य	११.२	११.२
ख	स्थावर आस्तियां	5,00,000/-	4,00,000/-	११.२	११.२

L	I. स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	5,00,000/-	4,00,000/-	श.व्य	श.व्य	श.व्य
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	श.व्य	श.व्य	श.व्य	श.व्य	श.व्य
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत (क) स्वअर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	5,00,000/-	4,00,000/-	श.व्य	श.व्य	श.व्य
9	दायित्व	85,000/-	श.व्य	श.व्य	श.व्य	श.व्य
10	(i) सरकारी शोध्य (कुल) (ii) देंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	श.व्य	श.व्य	श.व्य	श.व्य	श.व्य
10	SHASHIKANT प्रमाणान्वयन, A.C. Advocate (i) - Camp शोध्य NOTARY PUB. शोध्य PUNJAB, HARYANA और अन्य से ऋण (कुल)	82,000/-	श.व्य	श.व्य	श.व्य	श.व्य



11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता :	11812
----	-------------------------	-------

प्रिमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यांकरे दें।

सत्यापन

मैं उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता है कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता है कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मिल कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

**Advocate** (वकील) सेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग का की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8 (कठावौर 10) में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

**१९\*** क्रृष्ण सत्यापित किया गया ।

✓ ၃၁ မြိုင်ကျော် ၁၇၂၀/၁၀၇

Notary Public authorised under Notary Act 1952 (53 of 1952) and ULR 3 (4) of 1956 of the Act and ULS 139 (C) the Code of Civil Procedure, 1908 and 297 (C) of Criminal Procedure Code 1973.

टिप्पणी करने का अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तम्भों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े। यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तम्भों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तम्भों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तम्भ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।  
“मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या / संख्यायें हैं / हैं

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है

एवं मेरा सोशल मीडिया एकांउट्स (अगर कोई हो) है.